न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, कोटा

पीठासीन अधिकारी : उज्जवल राठौड़, आई0ए0एस0

प्रकरण संख्या – 79/2020 (Bank Case)
GCMS No. 2020/00201

"इण्डिया सेल्टर फाईनेन्स लिमिटेड" जिसका पंजीकृत कार्यालय–6th फ्लोर, प्लॉट नं. 15, इण्डस्ट्रीयल एरिया, सेक्टर–44 गुरूग्राम, हरियाणा–122002
– प्रार्थी /सिक्योर क्रेडिटर

बनाम

1. श्रीमति ममता शर्मा पत्नि श्री चन्द्र प्रकाश शर्मा
पता:– वार्ड नं. 38, मकान नं. 1020 कुम्हारों का मोहल्ला, छावनी रामचन्द्रपुरा, कोटा राज0
दुसरा पता– मकान नं. 429 छावनी रामचन्द्रपुरा, कोटा–324007
2. श्री चन्द्र प्रकाश शर्मा पुत्र श्री नानूराम
पता– वार्ड नं. 38, मकान नं. 1020, कुम्हारों का मोहल्ला, छावनी रामचन्द्रपुरा, कोटा–324007, राज0
दुसरा पता–मकान नं. 429, छावनी रामचन्द्रपुरा, कोटा–324007
– अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 14 दी सिक्यूरीटीजेशन रिक्संट्रक्शन आफ फाईनेंशियल ऐसिटस एण्ड एनफोर्समेन्ट आफ सिक्यूरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002

उपस्थित
श्री कुलदीप सिंह जादौन, अभिभाषक प्रार्थी

आदेश

दिनांकः **23.12.2020**

संक्षेप मे प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है "इण्डिया सेल्टर फाईनेन्स लिमिटेड" जिसका पंजीकृत कार्यालय–6th फ्लोर, प्लॉट नं. 15, इण्डस्ट्रीयल एरिया, सेक्टर–44 गुरूग्राम, हरियाणा–122002 में स्थित व कार्यरत है, से अप्रार्थीगण ने दिनांक 14.06.2016 को रूपये 11,00,000/–(अक्षरेः रूपये ग्यारह लाख मात्र) का ऋण लिया था अप्रार्थी सं0 1 ने ऋण व उसके मय ब्याज के पुनर्भुगतान हेतु सिक्योरिटी के रूप मे **अचल सम्पत्ति आवासीय निर्मित भवन नम्बर–429, छावनी रामचन्द्रपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा राजस्थान 324007 स्थित है, जिसका कुल क्षैत्रफल 680.00 स्क्वायर फुट है, जिसकी चतुर्थ सीमा– पूर्व में– अब्दुल हकीम का मकान, पश्चिम में–रोड़, उत्तर में–रोड़, दक्षिण में– अब्दुल रहीम का मकान है, जो जर्ये रजिस्टर्ड विकय पत्र दिनांक 6.7.2015 से ममता शर्मा के नाम है,** को प्रार्थी बैंक के पक्ष में गिरवीकृत किया गया था। अप्रार्थी ने नियमित रूप से प्रार्थी का उक्त ऋण का भुगतान नहीं कर सका और ऋण के भुगतान में व्यक्तिक्रम व डिफाल्ट होने पर प्रार्थी बैंक द्वारा अप्रार्थी के खाते को दिनांक. 31.05.2017 को एन.पी.ए. कर दिया गया । अप्रार्थीगण के खाते मे बकाया राशि 14,34,568/– (अक्षरे रूपये चौदह लाख, चौंतीस हजार पांच सौ अड़सठ मात्र) बकाया रकम दिनांक 31.07.2019 तक शेष देय है व दिनांक 01.08.2019 आगे की बकाया राशि मय ब्याज व खर्चे पूर्णभुगतान करने तक के लिए अप्रार्थी जिम्मेदार है । प्रार्थी बैंक ने उक्त एक्ट की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी को दिनांक

25.07.2019 को रजिस्टर्ड नोटिस भी प्रेषित किये गये, नोटिस प्राप्ति के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज चुकाने मे चूक की है । ऋणी द्वारा बंधक सम्पत्ति का कब्जा भी प्रार्थी बैंक को नही संभलाया है । प्रार्थी बैंक द्वारा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत उपरोक्त खाते मे देय राशि के पुर्नभुगतान हेतु रहनशुदा सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी बैंक को जरिये पुलिस इमदाद संभलाने के लिये यह प्रार्थना पत्र जरिये अभिभाषक प्रस्तुत किया गया ।

अभिभाषक प्रार्थी को सुना गया । अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए प्रकट किया कि अप्रार्थी ने उसके खाते मे देय ऋण राशि मय ब्याज की राशि के भुगतान हेतु उक्त अधिनियम की धारा 13 (2) के अन्तर्गत अप्रार्थी को दिनांक 25.07.2019 को नोटिस भी प्रेषित किये गये, नोटिस प्राप्ति के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज चुकाने मे चूक की है । अतः उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी बैंक को या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति को दिलवाने का आदेश फरमाते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। प्रार्थी बैंक द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अर्न्तगत दिनांक 25.07.2019 को नोटिस भी अप्रार्थी को प्रेषित किये गये, नोटिस प्राप्ति के पश्चात भी मांग की गई राशि का अप्रार्थीगणों द्वारा भुगतान नहीं किया है। अतः प्रार्थी बैंक द्वारा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है ऋणी/ बंधककर्ता **अचल सम्पत्ति आवासीय निर्मित भवन नम्बर–429, छावनी रामचन्द्रपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा राजस्थान 324007 स्थित है, जिसका कुल क्षैत्रफल 680.00 स्क्वायर फुट है, जिसकी चतुर्थ सीमा– पूर्व में– अब्दुल हकीम का मकान, पश्चिम में–रोड़, उत्तर में–रोड़, दक्षिण में– अब्दुल रहीम का मकान है, जो जर्ये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 6.7.2015 से ममता शर्मा के नाम है,** का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक द्वारा जरिये संबंधित पुलिस थाना इमदाद प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है । उक्त सम्पत्ति का कब्जा दिलाने हेतु पुलिस अधिकारियों/ कर्मचारियों के वेतन भत्ता व यात्रा व्यय आदि का भुगतान नियमों मे देय है तो संबंधित बैंक द्वारा वहन किया जायेगा । आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक, पुलिस अधीक्षक (शहर) कोटा को हस्ब कायदा जारी हो । सम्पत्ति के स्वामित्व अथवा कब्जे को लेकर किसी भी तरह का विवाद होने की स्थिति मे यह आदेश क्रियान्वित ना कर विवाद के संक्षिप्त विवरण सहित इस न्यायालय को लौटाया जावे ।

आदेश आज दिनांक 23.12.2020 को सुनाया गया ।

23.12.20

(उज्जवल राठौड़)
जिला मजिस्ट्रेट
कोटा

जिला मजिस्ट्रेट
कोटा (राज०)